(59)

मान्नीय न्यायालय –राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/01242

सुनील कुमार पुत्र विनोद कुमार, उम्र–42, व्यवसाय कृषि निवासी– आरेछा गेट के अन्दर झांसी (उ.प्र.)

आवेदक

विरूद्ध

1. राजेन्द्र पुत्र सियाराम पाल निवासी प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ उ.प्र.
2. राजस्व निरीक्षण ओरछा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ उ.प्र.

अनावेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव व. 15-2-2018 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-9-18 नियत। रीडर ऑफ कोर्ट 15-2-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959, राजस्व निरीक्षक वृत ओरछा द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 14.07.2017 से उद्भुत हुई है, आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि <u>एनेक्जर ए/1</u> संलग्न है। प्रकरण क्रमांक 89/अ.12/2017

<u>निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है –:</u>

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक–2 ने ग्राम बबेड़ी जगंल हल्का गुन्दरई तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि खसरा नं. 216 रकवा 2.428 का सीमाकंन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक वृत ओरछा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अनावेदक क्रमांक 1 ने विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अवैधानिक रीति से दिनांक 14.07.2017 को सीमांकन का आदेश पारित किया गया।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर अग्रिम प्रति........ पृष्ठ क्र........से........ दिनांक 15/2/18 हस्ता. व नाम........

2. यह कि, सीमाकंन की जानकारी आवेदक को उस समय हुई, जब इस एक पक्षीय सीमाकंन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ ने आवेदक को धारा–250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस की छायाकिंत प्रति एनेक्जर पी/2 संलग्न है।
3. यह कि, आवेदक की भूमि अनावेदक की भूमि से लगी हुई है। एवं आवेदक का पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है।
4. यह कि, आवेदक को जब इस एक पक्षीय सीमांकन की जानकारी मिली तो आवेदक द्वारा सूचना पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति चाही गई। जो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1242 सुनील विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त ओरछा के सीमांकन आदेश दिनांक 14-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	